खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में धान क्रय हेतु बोरों पर कलर कोडिंग भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0–3(ई.318639), दिनांक 12.04.2018 (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप की जानी है। इसके अतिरिक्त धान खरीद हेतु क्रय किये जाने वाले बोरों पर प्रिन्ट किये जाने वाला लोगो निम्नवत् होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य तथा रसद विभाग

के0एम0एस0 2018–19
(हुक का प्रयोग न करें)
शुद्ध वजन 50 किलोग्राम

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी की ओर से तत्काल जूट आयुक्त, कोलकाता से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर 30,000 जूट गांठ बोरों के क्रय हेतु इण्डेन्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुये लगाये गये इण्डेन्ट की प्रति के साथ कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
आयुक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जूट आयुक्त, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, तृतीय एम0एस0ओ0 भवन, ई एवं एफ विंग, चतुर्थतल, डीएफ ब्लाक, सेक्टर–1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार 30,000 जूट गांठ बोरों का प्रेषण कराने का कष्ट करें।
2. श्री वृज विहारी लाल, अवर सचिव (नीति–3) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख, सचिव, खाद्य तथा रसद अनुभाग–5 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को शासन स्तर से प्राप्त प्रशासनिक एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति की प्रति संलग्न का इस निर्देश के साथ प्रश्नगत 30,000 जूट गांठों के क्रय हेतु धनराशि रू0–73,04,59,500.00 (रू0 तिहत्तर करोड़ चार लाख उनसठ हजार, पांच सौ मात्र) सम्बन्धित खाते में जमा कराये जाने हेतु तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं शासन के पत्र दिनांक 03.07.2018 में उल्लिखित अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या शासन को उपलब्ध करायें।
5. वरिष्ठ सम्भागीय वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य), लखनऊ सम्भाग, लखनऊ।
6. सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि रैक हैण्डलिंग, गुणवत्ता सत्यापन व सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था समय से कराना सुनिश्चित करें। यदि सत्यापन में बोरों की गुणवत्ता अधोमानक व अपेक्षित संख्या से कम गांठे प्राप्त होती हैं तो निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार जूट आयुक्त, कोलकाता के पोर्टल पर आनलाइन शिकायत दर्ज करें तथा इस कार्यालय व स्थानिक प्रतिनिधि, कोलकाता को भी लिखित रूप में अवगत करायें।

(आलोक कुमार)
आयुक्त।